पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य

बनाम

इंद्रजीतसिंह

29 मई, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वरसिंह पंता, जे. जे.]

श्रम कानूनः

बर्खास्तगी- कर्मचारी द्वारा आरोप लगाया कि उसकी सेवाओं को अवैध रूप से 30-04-1997 के बाद से समाप्त कर दिया गया था| उसने दावा किया कि उसने 31.03.1993 से 30.04.1997 तक लगातार काम किया था|श्रम न्यायालय ने कर्मचारी की बर्खास्तगी को अवैध माना तथा पुनर्बहाली का आदेश दिया|उच्च न्यायालय द्वारा श्रम न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए पुनर्बहाली के निर्देश दिया| अपील पर, दावा याचिका में दिए गए बयान के विपरीत, श्रमिकों ने श्रम न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्हें 1.4.1996 पर नियुक्त किया गया था-साथ ही, कामगार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में विरोधाभास पाया गया क्योंकि नियुक्ति आदेश डब्ल्यू. ई. एफ. 31.3.1993 से लागू था, बहाली के आदेश को अपास्त किया|

प्रत्यर्थी- कर्मचारी ने औद्योगिक विवाद उठाते हुए आरोप लगाया कि उनकी सेवाओं को 30.04.1997 के बाद से अवैध रूप से समाप्त किया गया था। उन्होंने दावा किया कि 31.03.1993 से 30.04.1997 तक लगातार काम कर रहे थे। श्रम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी पिछले वेतन के 50 प्रतिशत के साथ सेवा की निरंतरता के साथ बहाल होने का हकदार था। अपीलार्थी- बोर्ड ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील हुई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने मानाः

दावा याचिका में यह कहा गया है कि प्रतिवादी ने 31.3.1993 से 30.4.1997 तक प्रबंधन के तहत लगातार काम किया।लेकिन श्रम न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उन्हें 1.4.1996 पर नियुक्त किया गया था।व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोई विवरण साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है।दावा याचिका या साक्ष्य में यह भी नहीं कहा गया था कि प्रतिवादी को प्रशिक्षण के लिए किसने भेजा था। दावा याचिका में तथाकथित व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी उल्लेख नहीं है। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य भी विरोधाभासी थे।एक स्थान पर उन्होंने कहा कि उन्होंने 31.3.1993 से 30.4.1995 तक की अवधि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

एक अन्य में उत्तरदाता ने कहा कि दो साल की प्रशिक्षुता पूरी करने के बाद उन्हें नियुक्त किया गया था। प्रशिक्षुता के दावे की पुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय के उक्त आदेश स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं हैं और उन्हें दर किनार कर दिया गया है। [पारस 7,8 और 9] [828-एफ, जी, एच; 829-ए, बी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1255/2007

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 10261/2005 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.07.2005 से।

अपीलार्थियों की ओर से हरिंदर मोहनसिंह और कौशल यादव।

प्रत्यर्थी के लिए दिल्ली लॉ चैंबर्स।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ (डिविजन बेंच) के आदेश, अपीलार्थी पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने, को चुनौती दी गई है।

2. पृष्ठभूमि के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैंः

3. प्रत्यर्थी ने शिकायत की कि हालांकि उन्होंने एक बढ़ई के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन उनकी सेवाओं को अवैध रूप से 30.4.1997 के बाद से समाप्त किया गया था। समझौते (सुलह) की प्रक्रिया की असफलता के बाद, प्रत्यर्थी द्वारा उठाया गया मामला निर्णय के लिए पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, पटियाला को भेजा गया था (इसके बाद 'श्रम न्यायालय' के रूप में संदर्भित)। दिनांक 22.2.2005 के आदेश द्वारा, निर्णय दिया कि प्रतिवादी की सेवा बर्खास्तगी गैर-कानूनी थी, प्रतिवादी पिछले वेतन के 50 प्रतिशत के साथ सेवा की निरंतरता के साथ बहाल करने का हकदार था| यह भी निर्देश दिया गया कि यदि राशि का भुगतान प्रतिवादी-कर्मचारी को नहीं किया जाता है, तो वह उक्त राशि पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

4. संक्षेप में श्रमिक का पक्ष इस प्रकार थाः

वे प्रबंधन के साथ रख रखाव उप-मंडल में 31.3.1993 से 30.4.1997 तक बढ़ई के रूप में काम कर रहे थे।उसका कर्तव्य आवासीय और प्रबंधन के अन्य भवन में था। यह काम उन्हें जूनियर इंजीनियर दौलतराम ने सौंपा था। उक्त कनिष्ठ अभियंता ने कई दस्तावेज जारी किए थे, जिनसे यह स्पष्ट है कि वह दावे के अनुसार काम कर रहे थे। कर्मचारी ने खुद को एक गवाह के रूप में जांचा। प्रबंधन ने यह दिखाने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत किए कि दावा बिल्कुल तुच्छ था। यह दावा कि कर्मचारी

31.3.1993 से 30.4.1997 तक लगातार काम कर रहा था, बिना किसी आधार के था।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि दौलतराम आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रमाण पत्र देने में सक्षम नहीं थे, जैसाकि उसके द्वारा जारी किए जाने का दावा किया गया है।उच्च न्यायालय ने कर्मचारी के इस दावे को स्वीकार कर लिया कि वह लगातार 31.3.1993 से 30.4.1997 तक काम कर रहा था। तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

5. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अंदाज कर दिया है कि कर्मचारी ने यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है कि उसे 31.3.1993 से नियुक्त किया गया था। इसके विपरीत, उन्होंने स्वीकार किया कि मस्टर रोल पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें 1.4.1996 से 30.4.1997 तक की अवधि के लिए मजदूरी मिली। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें प्रतिवादी-प्रबंधन द्वारा 1.4.1996 पर बढ़ई के रूप में नियुक्त किया गया था।यह भी कहा गया है कि पूरी अवधि के लिए मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया था जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उन्होंने उस अवधि के लिए काम नहीं किया था जबकि उन्होंने काम करने का दावा किया था।

6. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि गवाह यानी दावेदार का बयान और अभिलेख पर सामग्री स्पष्ट रूप से प्रतिवादी के दावे की पुष्टि करते हैं।

7. इस समय पर दावेदार द्वारा किया गए कथनों पर ध्यान देना आवश्यक होगा, दावा याचिका मेंकहा गया है कि उन्होंने 31.3.1993 से 30.4.1997 तक प्रबंधन के तहत लगातार काम किया।लेकिन श्रम न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में उन्होंने इस प्रकार कहा हैः

> "मुझे 31.3.1993 से 30.4.1995 की अवधि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला। मुझे 1.4.1996 पर प्रत्यर्थी प्रबंधन द्वारा बढ़ई के रूप में नियुक्त किया गया।मस्टर रोल पर लगाई गयी डाक टिकट पर हस्ताक्षर करने के बाद मुझे मेरा वेतन मिलता था| मुझे अपना वेतन 1.4.1996 से 30.4.1997 अवधि तक मिला| अपनी प्रशिक्षुता पूरी करने के दो साल बाद, मुझे एसडीओ द्वारा 1.4.1996 पर बढ़ई के रूप में नियुक्त किया गया। क्योंकि मैं दैनिक मजदूरी पर कार्यरत था इसलिए लिखित नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था|"

8. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि उन्हें 1.4.1996 पर नियुक्त किया गया था।व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोई विवरण

साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। दावा याचिका या साक्ष्य में यह भी नहीं कहा गया था कि प्रतिवादी को प्रशिक्षण के लिए किसने भेजा था। दावा याचिका में तथाकथित व्यावसायिक प्रशिक्षण का कोई संदर्भ भी नहीं है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संदर्भ में विरोधाभासी थे। एक स्थान पर उन्होंने कहा कि उन्होंने 31.3.1993 से 30.4.1995 तक की अवधि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1.5.1995 से 31.3.1996 तक की अवधि के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है।एक अन्य स्थान पर प्रतिवादी ने कहा कि दो साल की प्रशिक्षुता पूरी करने के बाद उन्हें नियुक्त किया गया था।प्रशिक्षुता के दावे की पुष्टि करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है।

9. पद से ऊपर, श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं और उन्हें दर किनार कर दिया जाता है।लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शिवानी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।